19	पंजाब	58.07 रु. से 60. 62 रु. प्रति दिन (1.7.95)	वही (कृषि को छोड़कर)
20	राजस्थान	44.00 रु. प्रति दिन(19.11.97)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
21	सिक्किम	शून्य	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू औऱ प्रकर्तिक किया जाना है।
22	तमिलनाडु	22.40 रु.से 79.00 रु. प्रति दिन(1.4.97)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
23	त्रिपुरा	17.70 रु से 36.00 रु प्रति दिन (29.8.96)	वही
24	उत्तर प्रदेश	42.02 रु से 64.21 रु प्रति दिन (31.10. 96)	वही
25	पश्चमि बंगाल	25.47 रु से 64.21 रु प्रति दिन (25.7.96)	वही
26	अण्हमान और निकोबार	37.00 रु.से 40.00 रु प्रति दिन(15.8.94)	वहीं
27	चण्डीगढ़	58.06 रु. से 60.15 रु.प्रति दिन(4.11.95)	सभी रोजगारों के लिए एक दर (कृषि को छोड़कर)
28	दादर औऱ नगर हवेली	35.00 रु. से 40.00 रु. प्रति दिन (18.5.95)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न हैं (जोन के अनुसार)
29	दमण और दीव	35.00 रु.प्रति दिन(19.5.95)	सभी रोजगार के लिए एकल दर
30	दिल्ली	74.50 रु. प्रति दिन (15.2.94)	वही
31	लक्षद्वीप	41.46 रु. प्रति दिन (1.1.96)	वही
32	पांडिचेरी	19.25 रु.से 40.00 रु. प्रति दिन (24.7.95)	कृषि कर्मकारों के लिए दरें
॥.*	केन्द्रीय सरकार	39.51 रु. से 71.04 रु. प्रति दिन(12.7.94)	रोजगार के अनुसार दरें भिन्न् हैं (क्षेत्रों के अनुसार (कृषि के अलावा)

टिप्पणीः 1. न्यूनतम मजदूरी के साथ परिवर्ती महंगाई भत्ते का प्रावधान दर्शाता है।

2. का लम(3) के अंतर्गत कोहक में दी गई तिथि अनुसूचित रोजगार में पिछले संशोधन की तिथि है।

Conciliation Reports from Regional Laliour Commissioner, Dhanbad

3590. DR. JAGANNATH MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether a number of conciliation, reports received from the Regional Labour Commissioner, Dhanbad are pending in his Ministry;

(b) if so, the details thereof as on , October 1, 1997; and

(c) the action taken by the Court for early disposal of these reportstases?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (c) 1179 conciliation reports were pending «pto October, 1997 and out of these 434 had been disposed of upto October, 1997.

As the Central Government Industrail Tribunal-cum-Labour Courts are a quasi-yjdicial authority, the Government does not interfere with their working However, communications are sent to the Presiding Officers impressing upon them the need to reduce pendency in their Courts.